मन्दिर न्यास माता श्री बज्रेश्वरी देवी जी "कांगड़ा" हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/2013 से 12/2014

भाग–एक

1 **प्रारम्भिक**

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग) (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः भाषा(ए)3–3/85, पार्ट–II दिनांक 17.1.1999 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश के मन्दिर न्यासों के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, मन्दिर न्यास माता श्री बज्रेश्वेरी देवी जी "कांगड़ा" के अवधि 1/2013 से 12/2014 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि में मन्दिर न्यास में निम्नलिखित मन्दिर अधिकारी कार्यरत्त रहेः–

क्रम संख्या	मन्दिर अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री पवन बडियाल	1.1.13 से लगातार

(ग) अंकेक्षणाधीन अवधि 1/2013 से 12/2014 के अंकेक्षण मे पाई गई अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

क्रम संख्या	अनियमितताओं का सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	दुकानों/मकानों/भवनों के किराए के रूप में राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	7	1.83
2	निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर दण्ड शुल्क (Penality) की वसूली न करना	17	0.48
3	आबंटित दरों की जस्टीफिकेशन तैयार किये बिना ही कार्यों का आबंटन करना	20	विवरण पैरे में दिया गया है

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित बकाया पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण पर समीक्षा की गई। मन्दिर प्रशासन द्वारा समस्त बकाया अनिर्णीत पैरों पर समुचित कार्रवाई न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण कें दौरान अधिकांश पैरों का निपटारा

नहीं किया जा सका। अतः परामर्श दिया जाता है कि शेष पुराने लम्बित पैरों पर भी शीघ्र उचित कार्रवाई की जाये ताकि उनका निपटारा भी सम्भव हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** में दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

मन्दिर न्यास माता श्री बज्रेश्वरी देवी जी कांगड़ा के अवधि 1/2013 से 12/2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है, श्री राजवीर सिंह (अनुभाग अधिकारी) एवं श्री पंकज भ्रारिया (क0ले0प0) द्वारा दिनांक 27.5.2015 से 21.7.2015 के दौरान मन्दिर न्यास के कार्यालय परिसर में सम्पन्न किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित माह चयनित किए गएः–

वर्ष	आय	व्यय
2013	4/13	4/13
2014	4/14	10/14

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मन्दिर न्यास के लेखाओं का अंकेक्षण मन्दिर न्यास द्वारा प्रेषित सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत किसी भी अधूरी एवं अपूर्ण सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

मन्दिर न्यास के अवधि 1/2013 से 12/2014 के वर्तमान लेखाओ के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹55000/– आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखों परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु मन्दिर न्यास अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनाँक 21.7.15 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण अवधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही, जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "B"** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	चढ़ावा	अन्य आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तशेष
2013	36330127	29280526	11838537	3016659	80465849	35023678	45442171
2014	45442171	33524485	11217661	4188356	94372673	39223798	55148875

नोटः– दिनाँक 31.12.14 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	55125063
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन की वित्तीय स्थिति में अन्तर	(+)23812
वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष	**55148875**

(ख) वित्तीय स्थिति में ₹23812/–का अन्तर

वित्तीय स्थिति में ₹23812/–का अन्तर अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2005 ले लगातार चला आ रहा है, परन्तु इस अन्तर की राशि के मिलान के लिए मन्दिर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त अन्तर की राशि के मिलान के लिए अविलम्ब उचित पग उठाए जाएं ताकि मन्दिर की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके।

(ग) बैंक समाधान विवरणिका

दिनांक 31.12.14 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तशेष		**55125063**
जमा	जारी किए गए चैक जोकि 31.12.2014 तक भुनाए नहीं गए	(+)60875
	दिनांक 31.12.14 को बैंक खातों के अनुसार शेष	55185938

दिनांक 31.12.14 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्र0सं0	खाता सं0 व बैंक का नाम	राशि
1	(HGB) 8070100033743	1157441
2	(KCCB) 2001381	2613
3	(Bank of Baroda) 2004389	12532
4	(SBI) 10551097067	83385
5	(Syndicate Bank) 89012140000023	3409
6	(HDFC) 08041450000088	23934
7	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि **(परिशिष्ट C)**	53902624
	कुल योग	**55185938**

5 सावधि जमा योजना में निवेशित राशि

मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "C"** के अनुसार दिनाँक 31.12.2014 तक ₹53902624/–सावधि जमा के रूप में विभिन्न बैंकों में निवेशित की थी, जिसे निर्धारित

तिथियों पर खातों में भुनाया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा अपेक्षित राशियों का पुनः निवेश किया जाए ताकि सावधि जमा योजना में राशियों पर नियमित रूप से ब्याज अर्जित किया जा सके।

6 सोने तथा चांदी की स्थिति

मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत मन्दिर न्यास की अंकेक्षण अवधि के दौरान सोने तथा चाँदी की स्थिति निम्न प्रकार से रही:–

(क) सोना

विवरण	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
प्रारम्भिक शेष	30	320	175
वर्ष 2013 में प्राप्ति	–	705	035
वर्ष 2014 में प्राप्ति	–	760	850
योग	**31**	**786**	**060**

(ख) दिनाँक 31.12.2014 को सोने की जमा विवरणी

विवरण	**कि0ग्रा0**	**ग्राम**	**मि0ग्रा0**
गोल्ड ब्रान्ड में जमा –(सोने की वित्तीय स्थिति के अनुसार जितनी मात्रा होनी चाहिए)	13	256	820
देवी देवताओं पर	2	888	610
चेस्ट में जमा	15	640	630
कुल योग	31	786	060

(ग) सोने के अन्तशेष में 2कि0ग्रा0 785 ग्राम 10मि0ग्राम का अन्तरः–

	कि0ग्रा0	**ग्राम**	**मि0ग्रा0**
दिनाँक 31.12.14 को स्टॉक मे जितना सोना होना चाहिए था	31	786	060
दिनाँक 31.12.14 को स्टॉक में जितना सोना था	29	001	050
अन्तर	02	785	010

उपरोक्त अन्तर निम्नलिखित कारणों से था:–

(i) गोल्ड ब्रांड हेतु स्टॉक से निकाले गए सोने तथा बैंक द्वारा प्राप्त सोने में अन्तरः–

	कि0ग्रा0	**ग्रा0**	**मि0ग्प्र0**
दिनाँक 02.05.2002 को गोल्ड बान्ड हेतु स्टॉक से निकाला गया सोना	13	256	820
दिनांक 3.05.2002 को बैंक द्वारा प्राप्त सोना	12	348	380
अन्तर	**00**	**908**	**440**

अतः यह स्पष्ट किया जाये कि किन कारणों से बैंक द्वारा 908 ग्राम 440 मि0ग्रा0 सोना कम प्राप्त किया गया।

(ii) बैंक द्वारा गोल्ड बांड हेतु प्राप्त सोने तथा बैंक द्वारा जारी शुद्ध सोने के बांड में अन्तरः–

	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
उक्त (i) के अनुसार दिनांक 3.05.2002 को बैंक द्वारा प्राप्त सोना	12	348	380
बैंक द्वारा जारी सोने के बांड	10	471	810
अन्तर	**1**	**876**	**570**

इस प्रकार बैंक द्वारा शुद्ध सोने के बान्ड 1 किलोग्राम 876 ग्राम 570 मि0ग्रा0 की कम मात्रा के जारी किए गए, परन्तु सोने की शुद्धीकरण के कारण निकली/प्राप्त अशुद्ध धातुओं का ब्यौरा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण सोने के बान्ड की सत्यता की पुष्टि नही की जा सकी।

नोटः–उपरोक्त (i) तथा (ii) में वर्णित सोने की कम मात्रा को गत वर्षों से अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लगातार दर्शित किया जा रहा है, परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा इसके मिलान के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः संस्था स्तर पर समीक्षा करके इस सन्दर्भ में की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) चांदी

विवरण	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
प्रारम्भिक शेष	1100	314	490
वर्ष 2013 में प्राप्ति	48	839	260
वर्ष 2014 में प्राप्ति	75	623	100
योग	**1224**	**776**	**850**

(ङ) दिनाँक 31.12.14 को चाँदी की जमा विवरणी

विवरण	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
देवी देवताओं व भोग बर्तन में	87	693	890
सेफ में जमा	593	486	960
मन्दिर के अन्दर (गर्भगृह) को जारी	543	596	000
कुल योग	**1224**	**776**	**850**

7 दुकानों/मकानों/भवनों के किराए के रूप में ₹183349/–का वसूली हेतु शेष पाया जाना

मन्दिर न्यास के किराए के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जांच में यह पाया गया कि दिनांक 31.12.2014 तक न्यास के दुकानों/मकानों/भवनों के किराएदारों से ₹183349/–वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	किराएदार का नाम	किस्म	बकाया राशि
1	श्री महेश चन्द	दुकान	750
2	श्री राम लाल	दुकान	1800
3	श्री खुशी राम	मकान	3
4	श्री देवेन्द्र कुमार	दुकान	5400
5	श्रीमती केसरी देवी	मकान	7650
6	श्री जगदीश चन्द	मकान	94
7	श्री गोपाल दास	मकान	4050
8	श्री कुलदीप सैन	मकान	1687
9	श्री जगदीश चन्द	दुकान	900
10	श्री राम नारायण	दुकान	12
11	श्री बलदेव	दुकान	7448
12	श्री राजकुमार	दुकान	4407
13	श्री सुनील कुमार	दुकान	19139
14	श्री कुलदीप सिंह	दुकान	10912
15	श्री रमन ऋषि	दुकान	40036
16	श्री धमेन्द्र कुमार	दुकान	1762
17	श्री सन्दीप कुमार	दुकान	800
18	श्री रमन ऋषि	दुकान	31859
19	श्री संजय कुमार	दुकान	25940
20	श्री जगीर सिंह	दुकान	15500
		कुल योग	**183349**

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा किरायेदारों के साथ अनुबन्ध (Agreement) नहीं किये गये थे, जोकि उचित प्रतीत नहीं होते है। इस सन्दर्भ में मन्दिर अधिकारी से चर्चा भी की गई। चर्चा में मन्दिर अधिकारी द्वारा सभी किरायेदारों के साथ यथाशीघ्र अनुबन्ध करने बारे आश्वासन दिया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि विभिन्न किरायेदारों से किराये की वसूली करने के अतिरिक्त समस्त किरायेदारों के साथ शीघ्र ही अनुबन्ध किये जाये ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

8 मुख्य काँउटर से प्राप्त आय में से ₹1000/– कम जमा करने बारे

मुख्य कांउटर के रजिस्टर की जाँच में यह पाया गया कि दिनाँक 3.4.2013 को रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 27 के अनुसार कुल ₹8507/– की आय प्राप्त हुई थी, परन्तु मन्दिर निधि में केवल ₹7507/– ही जमा करवाई गई। इस प्रकार मन्दिर निधि में कुल (₹8507–₹7507=₹1000) कम जमा करवाई गई थी। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उपरोक्त ₹1000/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 11674 दिनाँक 13.7.15 द्वारा कर ली गई है तथा जमा की गई राशि की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है।

अतः परामर्श दिया जाता है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस प्रकार की त्रुटियाँ न दोहराई जाये।

9 सरायें की किराये के रूप में कम वसूली गई ₹170/– के बारे में

सरायें के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में यह पाया गया कि कुछ प्रकरणों में विभिन्न यात्रियों से कम किराये की वसूली की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनाँक	रसीद सं0	वसूली गई राशि	वसूली योग्य राशि	कम राशि
1.4.13	24829	210	260	50
6.4.13	24865	230	250	20
8.4.13	24866	190	210	20
11.4.13	24907	210	240	30
20.4.13	24919	125	135	10
20.4.13	24923	260	280	20
21.4.13	24933	175	195	20
			योग	**170**

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उपरोक्त ₹170/– की वसूली अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 11671 दिनाँक 7.7.2014 द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी से करके न्यास निधि में जमा करवा दी गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः भविष्य के सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस प्रकार की त्रुटियाँ न दोहराई जाये।

10 यात्री सदन की पार्किंग से प्राप्त आय की राशि में से राशि में से ₹1650/– कम जमा करवाने बारे

यात्री सदन की पार्किंग से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में यह पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि (1/2013 से 12/2014) के दौरान यात्री सदन की पार्किंग से कुल ₹200200/– प्राप्त हुई, जिसके विरूद्ध मन्दिर निधि में कुल ₹198550/– ही जमा करवाई गई। इस प्रकार मन्दिर निधि में राशि (₹200200–₹198550=₹1650) कम जमा करवाई गई थी। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उपरोक्त ₹1650/– की वसूली रसीद संख्या 11670 दिनाँक 7.7.15 द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी से करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवा दी गई है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृति को रोकने हेतु आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाये।

11 गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री प्रीतम चन्द, चित्रकार को ₹651/– का अधिक वेतन देने बारे

सेवा पंजिकाओं की जाँच में यह पाया गया कि श्री प्रीतम चन्द, चित्रकार का 4–9–14 (ACP) के मामले में वेतन का ₹10 निर्धारण अधिक किया गया था, जिस कारण सम्बन्धित कर्मचारी को दिनाँक 9.8.2012 से 31.5.2015 के दौरान निम्नविवरणानुसार कुल ₹651/– का अधिक वेतन का भुगतान किया गया है।

अवधि	**अधिक दिया गया मूल वेतन**	**महंगाई भत्ता की दर**	**कुल राशि**	**टिप्पणी**
9.8.12 से 11/2012=3 माह 23 दिन	10	58%	60	महंगाई भत्ते की गणना, वास्तव में दिये गये महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार की गई है
12/2012=1 माह	10	72%	18	
1/2013 से 6/2013=6 माह	10	80%	108	
7/2013 से 12/2013=6 माह	10	90%	114	
1/2014 से 6/2014=6 माह	10	100%	120	
7/2014 से 12/2014=6 माह	10	107%	126	
1/2015 से 5/2015=5 माह	10	107%	105	
		योग	**651**	

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उपरोक्त ₹651/–की वसूली रसीद संख्या 11669 दिनाँक 7.7.15 द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी से करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवा दी गई है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृति न हो।

12 सेवा निवृत उपदान (Gratuity) की ₹963/– का अधिक भुगतान करने बारे

श्रीमती सुशीला देवी (सेवादार) के दिनाँक 30.9.2014 को सेवानिवृत होने पर उनके दिये गये सेवा निवृत लाभों की जाँच में यह पाया गया कि उनको उपदान के रूप में ₹963/– का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

दिनाँक 30.9.14 को मूल वेतन	7980
ग्रेड पे	1650
महंगाई भत्ता	100%
क्वासिफाईंग सर्विस	22½ वर्ष
उपदान की अपेक्षित राशि	19260X45/4=216675
जितनी राशि का भुगतान किया गया	217638
जितनी अधिक राशि का भुगतान किया गया (217638–216675=963)	963

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उपरोक्त ₹963/– की वसूली रसीद संख्या 11668 दिनाँक 6.7.15 द्वारा सम्बन्धित सेवा निवृत कर्मचारी से करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवा की गई है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस पकार की त्रुटियाँ न दोहराई जाये।

13 बकाया राशि (Arrears) के बिलों के रूप में ₹1676/– का अधिक भुगतान करना

वाउचर संख्या 80 दिनाँक 20.10.2014 द्वारा मन्दिर न्यास के विभिन्न कर्मचारियों को 4–9–14 (ACPS) के वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप दिनाँक 9.8.2012 से 31.5.2014 के दौरान बकाया राशि का भुगतान किया गया। उपरोक्त वाउचर की जाँच में यह पाया गया कि गलत गणना के कारण मन्दिर न्यास के विभिन्न कर्मचारियो को निम्नविवरणानुसार कुल ₹1676/– का अधिक भुगतान किया गया है।

क्र0सं0	नाम	पदनाम	राशि
1	श्री सुरेन्द्र कुमार	वरिष्ठ सहायक	50
2	श्री सुदर्शन कुमार	कनिष्ठ सहायक	32
3	श्री दिनेश कुमार	वरिष्ठ लिपिक	42
4	श्री संजीव कुमार	वरिष्ठ लिपिक	41
5	श्री पवन कुमार	वरिष्ठ लिपिक	41
6	श्री नरेश कुमार	वरिष्ठ लिपिक	41
7	श्री ज्ञान चन्द	लिपिक	20
8	श्री नरेन्द्र कुमार	लिपिक	42
9	श्री सुरेश कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता	48
10	श्री धनी राम	चित्रकार	78
11	श्री प्रीतम चन्द	चित्रकार	75
12	श्री राज बहादुर	सहायक विद्युतकार	60
13	श्री बाल कृष्ण	रसोईया	60
14	श्री ज्ञान चन्द	रसोईया	60
15	श्री हरबन्स लाल	पुजारी	81
16	श्री सुशील कुमार	पुजारी	35
17	श्री गौरी शंकर	सेवादार	50
18	श्री सुदेश कुमार	दफतरी	50
19	श्री देश राज	सेवादार	50
20	श्री अरविन्द कुमार	रसोईया	20
21	श्री राम नारायण	सेवादार	50
22	श्रीमती स्नेह लता	सफाई कर्मचारी	50
23	श्री बाल कृष्ण	चौकीदार	50

24	श्री मोहिन्द्र कुमार	सेवादार	50
25	श्री चैन सिंह	सेवादार	50
26	श्रीमती सीमा देवी	सेवादार	50
27	श्रीमती दर्शाना देवी	सेवादार	50
28	श्री राम प्यारी	सेवादार	50
29	श्रीमती शान्ता देवी	सेवादार	50
30	श्री गणेश कुमार	सेवादार	50
31	श्रीमती सुशीला देवी	सेवादार	50
32	श्रीमती रक्षा देवी	सेवादार	50
33	श्री मोहिन्द्र कुमार	सेवादार	50
34	श्री शशि कुमार	सेवादार	50
		कुल योग	**1676**

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उपरोक्त ₹1676/– की वसूली रसीद संख्या 11673 दिनाँक 13.7.2015 द्वारा करके मन्दिर निधि में जमा करवा दी गई है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृति न हो।

14 गृह रक्षक को अधिक वेतन (दिहाड़ी) देने बारे

वाउचर संख्या 7, दिनाँक 2.4.2013 की जाँच में यह पाया गया कि श्री प्रशोतम लाल, गृह रक्षक (HG 9/8-104) को 21 दिनों के लिये ₹225/– की दर से दिहाडी के रूप में कुल ₹4725/– का भुगतान किया गया था, जबकि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार उक्त गृह रक्षक को कुल 20 दिनों की दिहाड़ी हेतु ₹4500/– का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार उनको (₹4725–₹5400=₹225) का अधिक भुगतान किया गया था। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उक्त ₹225/– की वसूली अंकेक्षण के दौरान ही रसीद संख्या 11675 दिनाँक 14.7.2015 द्वारा करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवा दी गई है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृति को रोकने हेतु उचित कदम उठाये जायें।

15 लाईम पाऊडर (चूना) की खरीद पर ₹100/– का अधिक भुगतान करना

वाऊचर संख्या 65, दिनाँक 16.10.2014 की जाँच मे पाया गया कि मै0 नारायण स्वरूप फिनाईल एण्ड कैन्डल इन्डस्ट्रीज काँगड़ा को उनके बिल नं0 510 दिनाँक 25.9.2014 के एवज में 25 कि0ग्रा0 चूना (Lime Powder) की खरीद हेतु ₹12/– कि0ग्रा0 की दर से

कुल ₹300/— का भुगतान किया गया, जबकि कुटेशनों के अनुसार उनको ₹8 प्रति कि0ग्रा0 की दर से उक्त खरीद हेतु ₹200/— का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार उक्त फर्म को (₹300—₹200=₹100) का अधिक भुगतान किया गया था। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उक्त ₹100/— की वसूली रसीद संख्या 11678 दिनाँक 16.7.15 अंकेक्षण के दौरान ही करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवा दी गई है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृति को रोकने हेतु उचित कदम उठाये जाये।

16 बजट प्रावधान से ₹2989172/— का अधिक व्यय करने बारे

मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "D"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार न्यास द्वारा कुछ एक प्रकरणों में बजट प्रावधान से अधिक व्यय किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	मद	बजट	व्यय की गई राशि	अन्तर
2013	भविष्य निधि	1200000	2148309	948309
	आर्थिक सहायता	500000	507296	7296
	लंगर ठेका	636000	642090	6090
2014	हिस्सा बारीदान	9135000	9496011	361011
	रमैया	892500	947973	55473
	वेतन	9500000	9761933	261933
	भविष्य निधि	1292500	2420460	1127960
	आर्थिक सहायता	400000	621100	221100
			योग	**2989172**

अतः बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अधिक व्यय की गई राशि को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही व्यय किया जाये।

17 निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर दण्ड शुल्क (Penality) की ₹48543/— की वसूली न करना

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर न तो उनसे अनुबन्ध पत्र की शर्तों के अनुसार दण्ड शुल्क (Penality) की वसूली ही की गई थी तथा न ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय अवधि में बढ़ौतरी प्रदान की गई थी। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अनुबन्ध की शर्तानुसार निर्धारित दर से दण्ड शुल्क की

₹48543/– की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त इसके समरूप अन्य प्रकरणों की छानबीन संस्था स्तर पर करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

Vr. No./Date	Name of work	Contractor Name	MB No. Page	Award Letter No.	Esrinated cost	Time allotment	Completion date	Delay	Penalty
81/20.1.14	R/M of yatri Sadan, Gupat Ganga	Sh. Pardeep Kumar	79 P-55	320-21/4.3.14	179702	30 days	12.8.14	4 M	17970
33/10.5.14 19/3.9.14	Painting of Destempering in yatri sadan Gupat Ganga	Sh. Anil Kumar	79 P-56	318-19/4.3.14	215730	45 days	28.7.14	3 M	21573
15/4.2.13	P/Steel facing voundry wall in Gosadan	Sh. Pardeep Kumar	76 P-81	248/2 4.9.12	90000	30 days	25.11.12	1 M	9000
								Total	**48543**

18 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान में से रॉयल्टी की कटौती न करना

निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिलों की जाँच में यह पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे कि रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर ही की जा रही थी, परन्तु इन सामग्रियों की आपूर्तिकार द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार से रायल्टी की वसूली की गई अथवा नहीं समर्थन में जारी एम0 फार्म ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा भी निर्माण कार्य के भुगतान में से नियमानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती नहीं की जा रही थी जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग के पत्र संख्या इण्ड–II (एफ) दिनाँक 6.5.2006 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जानी अपेक्षित थी। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं भविष्य में रॉयल्टी की कटौती नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जायें।

19 जल प्रभार की कटौती न करने के कारण ₹2406/– का अधिक भुगतान करने बारे

निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिलो ंकी जाँच में यह पाया गया कि कुछ एक प्रकरणों में निर्माण कार्य के बिलो ंमें से जल प्रभार की कटौती नहीं की गई थी तथा न ही माप पुस्तिका अन्यथा अन्य अभिलेख में ठेकेदार द्वारा जल को क्रय करके निर्माण कार्य में प्रयोग करने सम्बन्धी कोई भी प्रमाण पत्र दिया गया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि ठेकेदारों द्वारा जल के लिये किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया गया एवं जल का प्रयोग सरकारी स्त्रोतों से निशुल्क किया गया। इस प्रकार निशुल्क जल का प्रयोग करने पर कार्य की कुल लागत पर 1.5**%** की दर से जल प्रभार की कटौती की जानी अपेक्षित थी, परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा जल प्रभार की कटौती न करने के कारण ठेकेदारों को निम्न विवरणानुसार ₹2406 का अधिक भुगतान किया गया। अतः जल प्रभार की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹2406 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

Vr. No./Date	Name of work	Contractor Name	Award No	MB No./Page	Gross Amt	Water Charges
76/18.10.14	C/O Kitchen Sheet at gupat Ganga	Sh. Anil Kumar	1569/6.9.14	81 P-63	56750	851
15/4.2.13	Boundry wall in Go Sadan	Sh. Pardeep Kumar	248/24.9.12	76 P-81	103660	1555
					Total	**2406**

20 आबंटित दरों की जस्टीफिकेशन तैयार किये बिना ही कार्यों का आबंटन करना

निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिलों की जाँच में यह पाया गया कि मन्दिर न्यास निर्माण कार्यों के प्राकलन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की मानक सुची दरों 2009 के अनुसार तैयार किये गये थे, तथा विभिन्न ठेकेदारों को कार्य का आबंटन प्राकलन में वर्णित दरों से अधिक दरो ंपर किया गया था, परन्तु अधिक दरो ंको उचित ठहराने हेतु दरो ंकी जस्टीफिकेशन तैयार नहीं की गई थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा यदि जस्टीफिकेशन की दरें आबंटित दरों से कम पाई जाती है तो विभिन्न ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त इसके समरूप अन्य प्रकरणों की छानबीन संस्था स्तर पर की जाये तथा तदानुसार वाँछित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

Vr. No./Date	Award Letter No.	Name of work	Contractor Name	MB No./ Page	Esrinated Amt	Awarded Amt	Above %age
76/18.10.14	1569/ 6.9.14	C/O Kitchen Sheet at gupat Ganga	Sh. Anil Kumar	81 P-63	51149	63474	24.09%
33/10.5.14 19/3.9.14	318-19/4.3.14	Painting and destempring work in yatri sadan	Sh. Anil Kumar	79 P-56	215730	274270	27.13%
15/4.2.13	248/24.9.12	Boundry wall in Go Sadan	Sh.Pardeep Kumar	76 P-81	90000	100763	11.96%

21 कोटेशनों के बिना सामान की खरीद करने से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियम 97 के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में ₹3000/– तक के मूल्य के सामान की खरीद बिना कोटेशनों के की जा सकती है, बशर्ते कि पूरे वित्तीय वर्ष में बिना कोटेशनों के कुल खरीद ₹50000/– से अधिक न हो, जिस हेतु आहरण एंव वितरण अधिकारी को निम्न प्रमाण पत्र देना होगा। "I am Personally satisfied that the goods purchased are of the requiste quality and spacification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price."। अंकेक्षण के दौरान नमुना जाँच में यह पाया गया कि निम्न प्रकरणों में सामग्री की खरीद हेतु न तो नियमानुसार प्रमाण पत्र दिया गया तथा न ही कोई ऐसा अभिलेख तैया किया गया जिससे कि यह पता चल सके कि अमुक वर्ष में बिना कोटेशनों के कुल कितने मूल्य के सामान की खरीद की गई है। अतः नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	राशि	वा0सं0/दिनांक	बिल नं0/दिनाँक	फर्म का नाम	सामग्री
2013	2070	58/14.4.13	652/10.4.3	मै0 एरोटिका इन्टरप्राईजिज कांगड़ा	फलैक्स बोर्ड
2014	1050	8/1.10.14	751/8.9.14	मै0 सनटेक कम्पयूटर कांगड़ा	कम्पयूटर कारटेज

22 स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव के बारे में

लेखा परीक्षण में यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा स्थाई वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव उचित ढ़ंग से नहीं किया जा रहा था। कुछ वस्तुओं की प्रविष्टियाँ स्थाई स्टॉक रजिस्टर में की गई थी, जबकि कुछ एक की एम0ए0एस0 (M.A.S.) रजिस्टर में की गई थी। उदाहरण के लिये मै0 नैशनल इन्टरप्राईजिज कांगड़ा से उनके बिल संख्या 120 दिनाँक 15.10.14 के अन्तर्गत 7 नं0 अग्निशमन यन्त्रों की खरीद की गई, जिनकी प्रविष्टि MAS रजिस्टर में की गई, जबकि उक्त सामान/मदों की प्रविष्टि स्थाई वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर में भी की जानी अपेक्षित थी जिससे कि सभी स्थाई वस्तुओं के अन्तशेष का पता एक ही रजिस्टर से चल सके। अतः संस्था स्त्तर इस तरह के समस्त प्रकरणों की छानबीन की जाये तथा मन्दिर न्यास के समस्त स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव उचित ढ़ंग से किया जाये।

23 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जाँच में यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावाली की धारा 15.17 के अनुसार स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः स्टॉक में पड़े सामान की अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापना करके भविष्य में भी वार्षिक सत्यापना करते हुये की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

24 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)192/97 खण्ड–5 दिनांक, शिमला–171009.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1. मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री माता बज्रेश्वरी देवी जी, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करने सुनिश्चित करे।

2. उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
3 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला–9
4 अवर सचिव (भाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "A" पैरा संख्या 1 (घ) के सन्दर्भ में

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04.11.1986 से 31.12.1998

1	पैरा–3 (क) (1 से 48)	(मुख्य रोकड़ वही में जमा/घटाने बारे)	अनिर्णीत	
2	पैरा–3 (ख) (1 से 5)		अनिर्णीत	
3	पैरा–3 (ii) (क) (ख)	(सोना चांदी के विवरण बारे)	अनिर्णीत	
4	पैरा–5 (ख)		अनिर्णीत	
5	पैरा–5 (iii) (ख)		अनिर्णीत	
6	पैरा–5 (iv)		अनिर्णीत	
7	पैरा–5 (v) (ख)		अनिर्णीत	
8	पैरा–5 (vi)	(दान दिए गए सामान का स्टॉक रजिस्टर न बनाने बारे)	अनिर्णीत	
9	पैरा–5 (ix)		अनिर्णीत	
10	पैरा–6 (ए)	(अग्रिम ₹68800/–के समायोजन का रिकार्ड न दिखाना)	अनिर्णीत	
11	पैरा–6 (बी)	(अग्रिम ₹68800/–के समायोजन का रिकार्ड न दिखाना)	अनिर्णीत	
12	पैरा–7 (ख)	(बेची गई चांदी 36.800 ग्राम की रसीद न दिखाना)	अनिर्णीत	
13	पैरा–7 (ग)	(चांदी को कम दर्शाया जाना)	अनिर्णीत	
14	पैरा–7 (घ)	(जारी की गई चांदी के बने सामान की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में न करना)	अनिर्णीत	
15	पैरा–7 (ङ)	(नीलामी रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर मे ंचांदी की मात्रा में भिन्नता)	अनिर्णीत	
16	पैरा–7 (च)	(चांदी की सिल्लिया बनाने के उपरान्त बजन में कमी को सत्यापित न करवाने बारे)	अनिर्णीत	
17	पैरा–7 (छ)	(चांदी की नीलामी बारे)	अनिर्णीत	
18	पैरा–7 (ज)	(मूर्तियां बनाने के लिए जारी किए गए सोने की रसीद न दिखाने बारे)	अनिर्णीत	

19	पैरा–7 (झ)	(चार्ज देते समय सोने की गिनती/स्टॉक को न लिया जाना)	अनिर्णीत	
20	पैरा–8 (क) (i) (क से झ)	(मुख्य रोकड़ वही व बैंक समाधान विवरणी में अन्तर)	अनिर्णीत	
21	पैरा–8 (क) (ii से vii)	(रोकड़ वही व बैंक खातों से निकाली गई राशियों में अन्तर)	अनिर्णीत	
22	पैरा–8 (ख) (i से v)	(लंगर रोकड़ वही व बैंक समाधान विवरणी में अन्तर)	अनिर्णीत	
23	पैरा–13 (क)(i) (ए, बी)		अनिर्णीत	
24	पैरा–13 (क)(ii) (ए, बी)	(भुगतान से सम्बन्धित बिल न दिखाने बारे)	अनिर्णीत	
25	पैरा–13 (क)(iv, v)		अनिर्णीत	
26	पैरा–13 (क)(xi)		अनिर्णीत	
27	पैरा–13 (ख)(v)	(₹4595 के क्रय किए गए सामान का अभिलेख न दिखाने बारे)	निर्णीत	(बिल नं0 5794 दिनांक 16.3.91 मै0 चेतन दास बलदेव राज कांगड़ा स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 358, 364 पर दर्ज है)
28	पैरा–13 (ख)(ix)	(₹44150 के क्रय किए गए सामान के अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे)	अनिर्णीत	
29	पैरा–13 (ख)(x) (ए, बी)	(₹7779/– के पुराने नोटो को बदलने के लिए कमीशन देने बारे)	अनिर्णीत	
30	पैरा–13 (ख)(xi)	(₹30000/–के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना)	अनिर्णीत	
31	पैरा–14 (ख)(iii)	(रसीद बुको से प्राप्त आय व रसीद बुक न दिखाने बारे)	अनिर्णीत	
32	पैरा–14 (ख)(iv)	(₹21000/–के चैक को रोकड़ वही में दर्ज न करने बारे)	अनिर्णीत	
33	पैरा–14 (vi)(ङ)	(₹12900 की कम किराये की वसूली बारे)	अनिर्णीत	

34	पैरा–14 (viii)		आंशिक निर्णीत	
35	पैरा–14 (xiv)		अनिर्णीत	
36	पैरा–14 (xvii) (क से च)		अनिर्णीत	
37	पैरा–14 (xviii)		अनिर्णीत	
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/1999 से 12/1999				
1	पैरा–4 (क)	(₹164486.77 का वित्तीय स्थिति में अन्तर)	अनिर्णीत	
2	पैरा–4 (ख)	(₹22081.80 का वित्तीय स्थिति में अन्तर)	अनिर्णीत	
3	पैरा–5 (ग)	(मै0 कटारिया बिल्डर पठानकोट द्वारा चैक सं0 1191862 दिनांक 8.02.09 के अन्तर्गत जमा ₹28000/–देख ली है)	आंशिक निर्णीत	
4	पैरा–7 (क)	(ठेकेदारों के बिलों मे से आयकर व बिक्री कर न काटने बारे)	अनिर्णीत	
5	पैरा–7 (ग)	(वाउचरों को प्रस्तुत न करना)	अनिर्णीत	
6	पैरा–12 (क)	(₹100000/– का कार्य बिना औपचाकिताएं पूर्ण करके करवाने बारे)	अनिर्णीत	
7	पैरा–14	(रसीद बुकों को प्रस्तुत न करना)	अनिर्णीत	
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2000 से 12/2000				
1	पैरा–4 (क)	(मुख्य रोकड़ वही की वित्तीय स्थिति में ₹26485.23 के अन्तर के बारे)	अनिर्णीत	
2	पैरा–4 (ख)	(लंगर रोकड़ वही की वित्तीय स्थिति में ₹22427/–के अन्तर बारे)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (3)	(श्री अश्वनी कुमार से ₹16500/–दुकान किराए की वसूली बारे)	आंशिक निर्णीत	
4	पैरा–8 (क)	(₹7356/– का मन्दिर अधिकारी को अनुचित प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में भुगतान करने बारे)	अनिर्णीत	

5	पैरा–10	(500 ग्राम चांदी का स्टॉक रजिस्टर में न लिया जाना)	अनिर्णीत	
6	पैरा–11 (क, ख)	(शेष अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु तुरन्त उचित कार्रवाई अपेक्षित है)	आंशिक निर्णीत	
7	पैरा–13	(यात्री सदन के किराए की ₹1340/–की कम वसूली बारे)	अनिर्णीत	
8	पैरा–14	(वास्तविक रसीदों को न प्रस्तुत करना)	अनिर्णीत	
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2002				
1	पैरा–4 (घ)	(वित्तीय स्थिति में अन्तर बारे)	अनिर्णीत	
2	पैरा–5 (क से ग)	(निवेशित करने के लिए कम सोना देने बारे)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (ख)		अनिर्णीत	
4	पैरा–6 (घ)		अनिर्णीत	
5	पैरा–7 (1, 2)	(₹4175/– के निर्माण कार्य बारे)	अनिर्णीत	
6	पैरा–8 (क व ङ)		अनिर्णीत	
7	पैरा–9 (क, ख, ग)	(ठेकेदारों के बिलों से आयकर एवं बिक्री कर न काटने बारे)	अनिर्णीत	
8	पैरा–10	(ठेकेदारों से ₹11573/–आर्थिक दण्ड के रूप में न काटने बारे)	अनिर्णीत	
9	पैरा–11	(निर्माण कार्ये का माप पुस्तिका में दर्ज न करने बारे)	अनिर्णीत	
10	पैरा–13 (क, ख, ग)	(रोकड़ वही सत्यापित न करवाने बारे)	निर्णीत (पूर्व में निर्णीत)	
11	पैरा–14	(प्रतिनियुक्ति भतो की ₹14700/–की अनुचित अदायगी बारे)	अनिर्णीत	
12	पैरा–23 (क, ख)	(खरीदे गए सामान की स्वच्छ प्रविष्टियों न करने बारे)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2003 से 12/2004				
1	पैरा–20 (क)	(वेतन के भुगतान बारे)	अनिर्णीत	
2	पैरा–20 (ख)	(यात्रा भत्ता के भुगतान बारे)	नर्णीत	(आयुक्त मन्दिर महोदय के पत्र संख्या 552/AC/BDT दिनाँक 31.5.11 द्वारा प्राप्त स्वीकृति देख ली गई है)
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2005				
1	पैरा–14	(उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे)	अनिर्णीत	
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2006 से 12/2007				
1	पैरा–19		आंशिक निर्णीत	
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2008 से 12/2009				
1	पैरा–4	(वित्तीय स्थिति में अन्तर)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
2	पैरा–6 (क) (1) (2)	(सोने में अन्तर)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2010				
1	पैरा–4	(वित्तीय स्थिति में अन्तर)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
2	पैरा–6 (क) (1) (2)	(सोने में अन्तर)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
3	पैरा–9	(वेतन के रूप में ₹59883/–के अधिक भुगतान बारे)	अनिर्णीत	
4	पैरा–10	(₹790626/–की अनाधिकृत सुविधा देने बारे)	अनिर्णीत	
5	पैरा–11	(निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनियमितताएं)	अनिर्णीत	
6	पैरा–18	(सैन्ट्रल पूल हेतु ₹3/– लाख जारी करने बारे)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2011 से 12/2011				
1	पैरा–15	सैन्ट्रल पूल हेतु ₹3.50 लाख जारी करने बारे	अनिर्णीत	
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2012 से 12/2012				
1	पैरा–3	अंकेक्षण शुल्क	निर्णीत	
2	पैरा–4 (ii)	वित्तीय स्थिति में ₹23811.72 का अन्तर	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–5	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
4	पैरा–6 (ग)	सोने के अन्त में शेष में 02 कि0ग्रा0 785 ग्राम 10 मि0ग्रा0 का अन्तर	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
5	पैरा–7	दुकानों/भवनों के किराए के रूप में ₹320892/– का वसूली हेतु शेष पाया जाना	निर्णीत	(पैरा अपडेटड)
6	पैरा–8 (क) (ख) (ग)	दैनिक रजिस्टर में रसीदों की संख्या गलत अंकित करने पर ₹400/– कम जमा करने बारे तथा गलत योग के कारण पुस्तकालय निधि में ₹32 तथा गोलक गल्ला रजिस्टर में ₹10 कम जमा करने बारे	निर्णीत	(i) 8 (क) स्वतः निर्णीत (ii) 8 (ख) ₹32 का वसूली रसीद संख्या 11309 दिनाँक 7.2.14 द्वारा की गई (iii) 8 (ग) ₹10 की वसूली रसीद संख्या 11309 दिनाँक 7.2.14 द्वारा की गई
7	पैरा–9 (क) (ख)	मन्दिर न्यास के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दीपावली पर ड्राई फ्रूट की ट्रे तथा बैड शीटस इत्यादि वितरित करने बारे	निर्णीत	मूल संचिका की टिप्पणी संख्या 1 से 4 पर आयुक्त मन्दिर महोदय की स्वीकृति एवं वितरण सूची देख ली गई है
8	पैरा–10 (क) (ख)	बिना निविदाऐं आमन्त्रित किए ₹8400/– की लेमिनेटिड फोटो की खरीद पर ₹700 का अनियमित खर्च करने बारे	निर्णीत	(i) 10 (क) निविदाएं देख ली गई है (ii) 10 (ख) स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 163 पर ट्रंक वापिस दर्ज किया गया

9	पैरा–11	स्टॉक रजिस्टर में दवाई की खरीद व खपत का ब्यौरा न दिए जाने बारे	निर्णीत	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 39 से 41 पर खपत का ब्यौरा देख लिया गया है
10	पैरा–12	हवन सामग्री की खरीद पर ₹2111/– का अधिक भुगतान बारे	निर्णीत	₹2111/– की वसूली रसीद संख्या 11308 दिनाँक 7.2.14 द्वारा की गई
11	पैरा–13	श्री देश राज सेवादार की सेवा पंजिका में 15 दिनों का अधिक अर्जित अवकाश दर्शाने बारे	निर्णीत	सेवा पंजिका देख ली गई है
12	पैरा–14 (क)	जस्टीफिकेशन न बनाने बारे	अनिर्णीत	
	पैरा–14 (ख)	₹1561 की वसूली बारे	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
13	पैरा–15	दण्ड शुल्क न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
14	पैरा–16	संविदाकार के बिलों से जल प्रभार की कटौती न करने के कारण संविदाकारो का ₹27801/– का अधिक भुगतान करने बारे	अनिर्णीत	

दिनांक 31.12.2012 तक अनिर्णीत पैरों का विवरण

1	प्रारम्भिक शेष	91
2	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	(+)21
3	अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2012 से 12/2012 तक अनिर्णीत पैरे	(–) 19
4	अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2012 से 12/2012 तक अनिर्णीत पैरे	93